HINDUSTAN, Patna, 13.5.2018
Page No. 2, Size:(12.61)cms X (15.57)cms.

सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने तक हुई व्यवस्था

आधार कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा सस्ता अनाज

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में फिलहाल गरीबों को सस्ता अनाज लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके अनाज हासिल करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता की बाध्यता आड़े नहीं आएगी।

सूत्रों के अनुसार चूंकि राज्य के अधिकतर जिलों में राशन कार्डों के आधार सिडिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के संबध में भी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। इसलिए केन्द्र व राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को बिना किसी शर्त के अनाज देने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रखने का फैसला लिया है। फर्जी लाभुकों को पकड़ने के लिए राशन कार्डों के आधार सिडिंग का काम जिलों में चलता रहेगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को डेढ़ माह के अंदर आधार सिडिंग का काम पूरा करने की हिदायत दी है। केन्द्र के उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्रालय ने इस काम में पिछड़े राज्यों से 30 जून तक आधार सिडिंग प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

देश के 25 राज्यों ने राशन कार्ड के आधार सिडिंग का काम पूरा कर लिया है। लेकिन बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में यह काम काफी पिछड़ा और ढुलमुल तरीके से चल रहा है। केन्द्र सरकार ने इस लापरवाही पर आपत्ति जतायी है।

राहत

- राशन कार्ड की आधार सिडिंग में विलंब पर हुआ फैसला
- अगले दो माह तक अनाज मिलने में नहीं होगी कठिनाई
- सभी जिलों में चलता रहेगा आधार सिडिंग का काम
- डेढ़ माह में काम पूरा करने की दी गई हिदायत

30 जून तक पिछड़े राज्यों से आधार सिडिंग प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया

25 राज्यों ने आधार सिडिंग का काम पूरा किया बिहार, बंगाल पिछड़े

एक्शन प्लान बनाकर काम को पूरा करने का निर्देश

केन्द्र ने इन राज्यों से तुरंत एक एक्शन प्लान बनाकर काम को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। लाभुकों की भौतिक पहचान के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, आपूर्ति निरीक्षकों आदि सभी घरों तक जाने को कहा गया है। जिन लाभुकों के आधार कार्ड नहीं बने हों, उन्हें आधार पंजीयन भी करा देना है। आधार सिडिंग या लाभुकों के पहचान होने तक किसी भी राशन कार्ड को रद्द नही किया जाएगा और न किसी लाभुक के नाम काटे जाएंगे। किसी राशन कार्ड को निलंबित भी नहीं किया जाएगा।